3/यो0-33/2018

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग //

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा0प्र0से0,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -13.04.2026

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिर से जुड़ी संयुक्त जुड़वा बहनें सबा एवं फरहा शकील को सहायता के तहत रू० 2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त जुड़वा बहनें सबा एवं फरहा शकील, पिता- मो0 शकील अहमद, ग्राम-समनपुरा, राजा बाजार, पो0-वेटनरी कॉलेज, जिला पटना को 5000/- रू0 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दिये जाने का न्यायादेश प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा सबा एवं फरहा शकील की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1 सितम्बर, 2015 से आर्थिक सहायता रू0 5000/- से प्रतिमाह बढ़ाकर रू0 20000/- प्रतिमाह किया गया है। वितीय वर्ष 2026-27 में सबा एवं फरहा शकील को रू0 20000/- प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु **कुल रू0 2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति** निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	सिर से जुड़े जुडवा बहनों सबा एवं फरहा शकील को सहायता	51-2235021020021	0021-37.01	2.40
कुल रू० (दो लाख चालीस हजार) मात्र				**2.40**

2. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को विभाग द्वारा CFMS के माध्यम से राशि आवंटित की जायेगी। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना को CFMS के माध्यम से राशि उप आवंटित की जायेगी। आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से किया जायेगा। इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना आंवटित राशि की निकासी कर सबा एवं फरहा शकील को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

3. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी है।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से किया जायेगा। इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक – 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं०-3/यो०-33/2018 के टिप्पणी पृ०-33/टि० पर दिनांक-08.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०-3/यो०-33/2018 के टिप्पणी पृ०-33/टि० पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।

विश्वासभाजन

13/4/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- : 3/यो०-33/2018 11 पटना-15, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/लेखा-शाखा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- : 3/यो०-33/2018 11 पटना-15, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- : 3/यो०-33/2018 11 पटना-15, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।